

10. यह पट्टा विलेख भूखण्ड का स्वामित्व का दस्तावेज हैं, भवन के निर्माण के नियमन व भवन निर्माण स्वीकृति का प्रमाण नहीं। भूखण्ड पर निर्मित भवन यदि प्रचलित भवन विनियमों के विपरित है तो नगर परिषद, सीकर उस पर नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र रहेगी।
11. यह पट्टा विलेख चिरकाल के लिए एक पूर्ण स्वामित्व फ्री-होल्ड पट्टा विलेख है, जिस पर भविष्य में कोई लीज राशि/वार्षिक या कालिक किराया देय नहीं होगा।
12. पट्टाकर्ता को तत्समय प्रवृत्त अर्जन की विद्यमान विधि के अधीन किसी भी लोक प्रयोजन के लिए पट्टा भूमि को अर्जित करने का शास्वत अधिकार होगा।
13. पट्टेदार नगर परिषद या तत्समय प्रवृत्त किसी प्राधिकरण के भवन सम्बंधी, जल निकाय संबंधी और अन्य उप-विधियों का सभी प्रकार से अनुपालन करेगा और उससे आबद्ध होगा। पट्टेदार ऐसे अन्य समस्त निर्बन्धनों और शर्तों का भी पालन करेगा जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाये।
14. यदि प्राप्त पट्टे में निर्मित भवन हेरीटेज स्वरूप का है तो पट्टेदार उस भवन के हेरीटेज स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/छेड़खानी नहीं करेगा।
15. यह पट्टा स्व-निर्धारण के आधार पर दिया जा रहा हैं। किसी भी प्रकार के विवाद के लिए पट्टा धारक स्वयं जिम्मेदार होगा।

स्टाम्प ड्यूटी हेतु पट्टे की प्रतिफल राशि।

भूखण्ड का विवरण

भूखण्ड के पड़ोस की सीमाओं का विवरण :-

पूर्व 101'-9" पश्चिम 125'-11"

उत्तर 194'-0" दक्षिण 56'-9"+61'-6"+77'-0"

[Signature]
पट्टा धारक के हस्ताक्षर

श्री निर्मल कुमार मिश्र

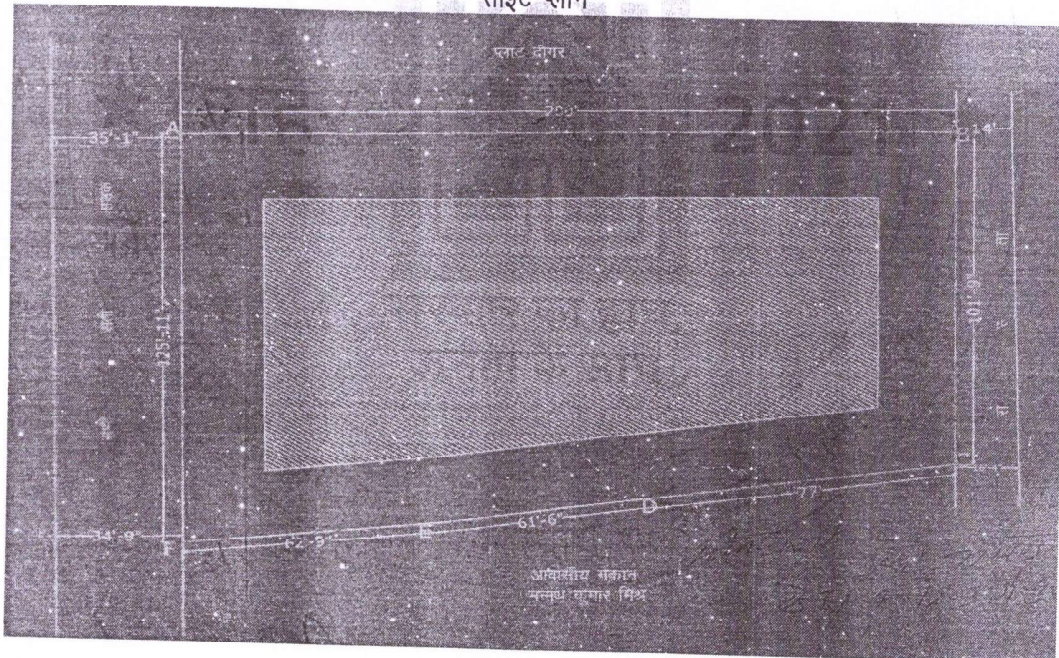
श्री नवीन कुमार मिश्र

[Signature]
साक्षी के हस्ताक्षर

नाम- सुरेन्द्र कुमार, क. सहायक

पता- नगर परिषद, सीकर

साईट प्लान



[Signature]
तकनीकी अधिकारी
नगर परिषद, सीकर

[Signature]
आयुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
नगर परिषद, सीकर

[Signature]
सभापति
नगर परिषद, सीकर

- पंजीकृत/पृष्ठांकन संलग्न है।
- Registered and Endorsement Attached